कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) मदर डेयरी तथा दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिल्ली में दूध की सप्लाई के स्तर में कोई कमी नहीं की गई। अन्य महानगरों में दूध की सप्लाई में कमी आने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) इस समय सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) मदर डेयरी तथा दिल्ली दुग्ध योजना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान नामक पड़ौसी राज्यों के सहकारी डेयरी संघों से दूध प्राप्त करती हैं। इसके अलावा, मदर डेयरी गुजरात सहकारी संघ से भी दूध प्राप्त करती है। दिल्ली दुग्ध योजना इसके अतिरिक्त संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सहकारी समितियों और महाराष्ट्र सरकार की डेयरियों से भी दूध प्राप्त करती हैं।

(घ) चूंकि दूध की प्राप्ति की मौजूदा व्यवस्था संतोषजनक पाई गई है इसलिए सरकार ने ऐसे कोई प्रयास नहीं किए हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी द्वारा दूध की कीमतों में वृद्धि

2256. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष 1990 में तथा इस वर्ष की पहली छः माहों में दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी द्वारा कभी दूध के सीधे दाम बढ़ा कर और कभी दूध की गुणवत्ता में कमी करके दूध के दामों में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन संस्थाओं में उस समय मूल्य वृद्धि द्वारा प्राप्त राशि का आंशिक लाभ दूध उत्पादकों को दिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि इस मूल्य वृद्धि से प्राप्त लाभ दूध उत्पादकों को नहीं दिया गया तो उसका क्या कारण था और क्या सरकार अब मूल्य वृद्धि के इस लाभ को दूध उत्पादकों को देने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) मदर डेयरी और दिल्ली दुग्ध योजना ने 14 दिसम्बर, 1990 से टोण्ड दूध में 50 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की। दिल्ली दुग्ध योजना ने उसके बाद दूध के मूल्य में वृद्धि नहीं की है। मदर डेयरी ने 16 अप्रैल, 1991 से 5.50 रुपये प्रति लीटर की दर से डबल टोण्ड दूध की बिक्री आरम्भ कर दी।

(ख) और (ग) जी, हां। लाभ को दुग्ध उत्पादकों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारी डेयरी संघ से प्राप्त होने वाले दूध का मूल्य 63 पैसे प्रति कि.ग्रा. बढ़ा दिया गया था।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

Derailment of trains.

226. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRIMATI MIRA DAS:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of derailment of trains during the last three years;

(b) what are the remedial measures taken by Government in this regard;

(c) what action Government take against the persons responsible for the negligence in maintenance; and

(d) whether any incentives or disciplinary measures have been worked out for regular and very good performance of the staff and *vice-versa*?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) There were 457, 456 and 446 derailments during the years 1988-89, 1989-90 and 1990-91, respectively.